

# कार्यालय तहसीलदार तहसील..... जिला.....

## PMKISAN योजनान्तर्गत पोर्टल पर अपात्र दर्ज हितग्राहियों को पात्र किए जाने सम्बन्धी विवरण

1	रिवोक किये जाने वाले हितग्राही का व्यक्तिगत विवरण			
	नाम			
	निवास ग्राम		तहसील	
	समग्र सदस्य ID		समग्र परिवार ID	
	आधार नंबर		PMKISAN ID	
2	रिवोक किये जाने वाले हितग्राही द्वारा धारित कृषि भूमि सम्बन्धी विवरण			
	प.ह.न.		LR ग्राम	
	तहसील		जिला	
	खसरा नंबर		रकबा (हे.)	
3	रिवोक किये जाने वाले हितग्राही के पति/पत्नी सम्बन्धी विवरण			
	नाम			
	समग्र सदस्य ID		समग्र परिवार ID	
	आधार नंबर		PMKISAN ID (यदि हो तो)	
4	PMKISAN पोर्टल पर दर्ज हितग्राही का स्टेटस (अपात्र/मृत)			
5	हितग्राही को पोर्टल पर अपात्र किये जाने का कारण			हाँ / नहीं
	क. हितग्राही को त्रुटि पूर्वक अपात्र किया गया है। (BY MISTAKE)			
	ख. हितग्राही अपात्र था किन्तु अब पात्र हो चुका है। (NOW ELIGIBLE)			
	प्रमाणित किया जाता है कि रिवोक हेतु प्रस्तावित उपरोक्त हितग्राही PMKISAN योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार पात्र है तथा REVOKE होने के उपरांत हितग्राही के पति/पत्नी में से किसी एक को ही लाभ प्राप्त होगा।			

तहसीलदार  
तहसील.....

## Farmers Eligibility Verification Form

Name नाम			
Aadhar No. आधार नंबर			
Village गाँव			
		Yes (हाँ)	No (नहीं)
1	Has the farmer received his/her entitlement under PM-Kisan? क्या किसान को PM-KISAN योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त हो रहा है ?		
2	Has the farmer/family member paid income tax in last assessment year? क्या किसान/परिवार के सदस्य ने पिछले निर्धारण वर्ष में आयकर का भुगतान किया है ?		
3	Is the beneficiary's spouse also getting the benefit of the scheme? क्या हितग्राही के पति/पत्नी को भी योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है ?		
4	Does the farmer/any family member fall in any of the following categories? क्या किसान निम्न में से किसी श्रेणी में आता है ?		
a	Former and parent minister/state minister and former/present member of loksabha/rajyasabha/state legislative assembly/state legislative council, former and present mayor of municipal corporation, former and present chairperson of district panchayat. पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्य सभा/राज्य विधान सभा/राज्य विधान परिषद के पूर्व/वर्तमान सदस्य, नगर निगम के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष)		
b	Serving or retired officer and employees of central/state govt. Ministry/office/department and its field unit/central or state PSE and attached offices/autonomous institution under government/regular employee of the local bodies (Excluding multi tasking staff/class 4/ group D employees) केंद्रीय/राज्य सरकार के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी। मंत्रालय/कार्यालय/विभाग और इसकी क्षेत्रीय इकाई/केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और सरकार के अधीन संलग्न कार्यालय/स्वायत्त संस्थान/स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी(मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग 4/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)		
c	Superannuated/ retired pensioner whose monthly pension is Rs. 10,000 or more (excluding multi tasking staff/class 4/ group D employees) (सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी जिनकी मासिक पेंशन रु. 10,000 या अधिक मल्टी टास्किंग स्टाफ/ वर्ग 4/ग्रुप डी कर्मचारियों को छोड़कर)		
d	Former/present holder of any constitutional post किसी भी संवैधानिक पद के पूर्व/वर्तमान धारक)		
e	Professionals like doctors, engineers, lawyer, chartered accountants and architects registered with professional bodies and carrying out profession by undertaking practices डॉक्टर/इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर, जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत हैं और जो पेशा अपनाकर व्यवसाय करते हैं)		

पटवारी

हल्का नंबर.....

तहसीलदार

तहसील.....